संख्या-58/2022/425/001-23-14-2022-02त्व0आ0वि0यो0/2019

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव।
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ : दिनांक- 25 अगस्त, 2022**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत 04 कार्यों हेतु अवशेष धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-1226बी0जी0/7बी0-मांग/2021-22, दिनांक 13.07.2022 एवं उक्त के साथ संलग्न मुख्य कोषाधिकारी, मेरठ के पत्र संख्या-278/कोष0/लेखाकार/साख सीम/2021-22, दिनांक 19.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में शासनादेश संख्या-41/2022/130/23-14-2021-02त्व0आ0वि0यो0/2019, दिनांक 30.03.2022 द्वारा निर्गत धनराशि रू0 473.87 लाख के सापेक्ष क्रमांक-1 से 4 पर अंकित जनपद-मेरठ की 04 परियोजनाओं हेतु धनराशि रू0 363.17 लाख अवमुक्त की गयी थी, जो कतिपय कारणों से वित्तीय वर्ष 2021-22 में लैप्स हो गयी।

2- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 30.03.2022 द्वारा क्रमांक-1 से 4 पर अंकित जनपद-मेरठ की 04 परियोजनाओं हेतु निर्गत धनराशि को निरस्त करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-58 के ''लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-15-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण/मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गो के चालू कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के अन्तर्गत कुल 04 चालू कार्यों हेतु उनके नाम के स्तम्भ कॉलम संख्या-11 में अंकित धनराशि के अनुसार अगली किस्त के रूप में कुल धनराशि रू0 3,63,17,000.00 (रूपये तीन करोड़ तिरसठ लाख सत्रह हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लम्बाई	स्वीकृत लागत	कार्य पर बचत की धनराशि	कार्य की वास्तविक लागत	31.03.2021 तक आवंटन/व्यय	01.04.2021 को अवशेष	2021-22 में लैप्स धनराशि	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटित धनराशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	प्रा0 खण्ड मेरठ	ग्राम जई से नवीपुर अमानतनगर मार्ग का निर्माण कार्य	5.00	254.85	0.00	254.85	76.48	178.37	29.00	29.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2	प्रा0 खण्ड मेरठ	रजपुरा से रजपुरा के शमशान घाट सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण का कार्य	4.50	228.92	0.00	228.92	68.89	160.03	160.03	160.03
3	प्रा0 खण्ड मेरठ	मेरठ.बदॉयू मार्ग के किमी0 18 से जनता इण्टर कालेज के सामने से होते हुए बिजौली मार्ग का नवनिर्माण का कार्य	3.15	125.36	0.00	125.36	37.54	87.82	87.82	87.82
4	प्रा0 खण्ड मेरठ	मेरठ बदॉयू मार्ग के किमी0 19 में खरखौदा से मड़ैया होते हुए छतरी मार्ग का नव निर्माण कार्य	3.15	123.69	0.00	123.69	37.37	86.32	86.32	86.32
		योग	**15.80**	**732.82**	**0.00**	**732.82**	**220.28**	**512.54**	**363.17**	**363.17**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) उपर्युक्त परियोजना के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेगी।

(3) परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(4) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का आनलाइन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022 दिनांक 04-05-2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04-05-2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(5) प्रमुख अभियन्ता (विकास/विभागध्यक्ष), लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत उक्तानुसार उल्लिखित 04 कार्य हेतु किसी भी स्थिति में उनकी आवंटित लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न की जाय।

(6) आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उ0प्र0 व उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया जाय तथा प्रश्नगत 04 चालू कार्य के अवशेष कार्य को पूर्ण कराकर पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ्स शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(7) त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-58 के ''लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337- सड़क निर्माण कार्य-15-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण/मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गो के चालू कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभुनाथ
विशेष सचिव।

संख्या-58/2022/425/001-23-14-2022-02त्व0आ0वि0यो0/2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय,प्रयागराज।
3- मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल।
4- संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेन्ट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी जनपद-मेरठ।
6- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1)लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, मेरठ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
8- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मेरठ।
9- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लांनिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम, सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड,प्रयागराज।
10- वेब अधिकारी,लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0,लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-8/लोक निर्माण अनुभाग-9/10
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।